विशिष्ट संशोधन (जैसे डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2024 के परामर्श) के बारे में विस्तार से बताइए

2024 के संशोधनों और परामर्शों (Advisories) का मुख्य केंद्र जेनरेटिव एआई (Generative AI) और डीपफेक (Deepfakes) से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करना रहा है। भारत सरकार ने आईटी नियम 2021 के मौजूदा ढांचे के भीतर ही इन नई तकनीकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यहाँ 2024 के विशिष्ट संशोधनों और सरकार के रुख का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1. डीपफेक और एआई पर मार्च 2024 का परामर्श (Advisory)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए:

* स्पष्ट लेबलिंग: यदि कोई कंटेंट एआई द्वारा बनाया गया है या बदला गया है (विशेषकर वीडियो और ऑडियो), तो कंपनियों के लिए उस पर 'वॉटरमार्क' या 'लेबल' लगाना अनिवार्य है ताकि उपयोगकर्ता को पता चले कि यह असली नहीं है।

* सहमति के बिना डीपफेक: यदि किसी व्यक्ति की अश्लील या आपत्तिजनक डीपफेक तस्वीर/वीडियो पोस्ट की जाती है, तो प्लेटफॉर्म को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा।

* भ्रामक जानकारी: एआई मॉडल का उपयोग ऐसी जानकारी फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता जो "भारत की एकता, अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था" के खिलाफ हो।

2. मध्यवर्ती उत्तरदायित्व और 'बायस' (Bias)
2024 के अपडेट्स में यह स्पष्ट किया गया है कि एआई एल्गोरिदम पक्षपाती (Biased) नहीं होने चाहिए।
* परीक्षण (Testing): सरकार ने सुझाव दिया कि "अविश्वसनीय" या परीक्षण के दौर से गुजर रहे एआई मॉडल को भारत में सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले स्पष्ट रूप से 'अंडर टेस्टिंग' मार्क करना चाहिए।
* सीधी जवाबदेही: यदि कोई एआई चैटबॉट (जैसे ChatGPT या Gemini) भ्रामक या अवैध जानकारी देता है, तो उस कंपनी को अब 'मध्यवर्ती' होने का लाभ मिलना मुश्किल होगा क्योंकि वह कंटेंट एआई द्वारा "बनाया" गया है, न कि केवल "होस्ट" किया गया है।

3. डिजिटल इंडिया अधिनियम (Proposed Framework)

2024 में चर्चाएं तेज हुई हैं कि आईटी नियम 2021 को जल्द ही 'डिजिटल इंडिया अधिनियम' (DIA) से बदला जाएगा। इसके तहत कुछ प्रमुख प्रावधान प्रस्तावित हैं:

प्रावधान	विवरण
एआई वॉटरमार्किंग	हर एआई जनित इमेज या वीडियो में मेटाडेटा के स्तर पर पहचान होनी चाहिए।
सुरक्षित बंदरगाह की समीक्षा	एआई कंपनियों के लिए 'Safe Harbour' (सुरक्षा कवच) को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि वे कंटेंट की "रचना" में शामिल हैं।
जुर्माना	नियमों के उल्लंघन पर भारी वित्तीय दंड और जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जेल की सजा का प्रावधान।

4. चुनाव और गलत सूचना (Misinformation)

चूंकि 2024 और उसके बाद के समय में चुनावी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रही हैं, इसलिए सरकार ने 'गलत सूचना' (Misinformation) पर विशेष जोर दिया है:

- कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली फेक न्यूज़ फैलाने के लिए न किया जाए।
- एआई द्वारा बनाए गए राजनेताओं के नकली भाषणों (Synthetic Media) को रोकने के लिए कंपनियों को 'फैक्ट-चेक' तंत्र को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है।

महत्वपूर्ण नोट: इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य तकनीकी नवाचार (Innovation) और नागरिक सुरक्षा (User Safety) के बीच संतुलन बनाना है।

क्या आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि यदि कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप 'शिकायत अपील समिति' (GAC) में कैसे जा सकते हैं?